न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 24/2019(2019/00189)

अनवान : –

कितावो देवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील भादरा।

प्रार्थीया।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

रेस्पोडेन्टस

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश दिनांक 14.05.2018

उपस्थिति :– श्री बलवन्त सिंह अपीलान्ट

निर्णय दिनांक : 15/01/2021

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा अनुवान सरकार बनाम किताबो देवी प्रकरण संख्या 277/2016 अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माननीय न्यायालय में दिनांक 14.06.2016 को ग्राम रतनपुरा के खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 171 की कुल 1.263 हैक्टेयर खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज है, उक्त खाता संख्या एसबीबीजे बैंक शाखा भादरा के रहन दर्ज है। उक्त भूमि ईन्ट भट्टा लगाकर बिना रूपान्तरण अकृषि कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में ईन्ट भट्टा बन्द बताया गया है।

प्रार्थना पत्र में जरिये सम्मन प्रार्थीया को तलब न्यायालय में फरमाया गया, जिसकी तामिल होना बताया गया है तथा इसके बाद प्रार्थीया को हाजिर ना होने पर उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादी तहसीलदार भादरा के ब्यान करवाये गये और प्रार्थीया के खिलाफ आदेश व डिक्री पास की जाकर उसकी उपरोक्त भूमि कुर्क की जाकर बहक सरकार ली गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:49:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया का गांव दावा में डाबड़ी [illegible] गया है, जबकि प्रार्थीया की जमाबन्दी में यह साफ दर्ज है कि प्रार्थीया [illegible] गांव रतनपुरा है, जब प्रार्थीया का गांव ही सही नही है तो उसकी तामिल फिर कैसे हो गयी।

यह कि प्रार्थीया का पति ए क्लास ठेकेदार है, जिसकी रिहायश हिसार के वार्ड नं. 11 में पिछले 20 साल से रहना बताया गया है। जब प्रार्थीया का पता ही सही नही है तो तामिल

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कैसे करवाई गई है। इस प्रकार यह साफ जाहिर है कि प्रार्थीया की तामिल कभी नही हुई है, इस कारण बिना तामिल के प्रार्थीया का नियत तारीख को हाजिर होना संभव नही था और ऐसी दशा में प्रार्थीया के खिलाफ पारित आदेश का डिक्री विधि विरूद्ध है क्योंकि बिना किसी व्यक्ति को सुने यदि उसके खिलाफ आदेश पारित किया जाता है तो यह आदेश कानून की निगाह में काबिल खारीजि होता है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि अनुवान सरकार बनाम किताबो देवी प्रकरण संख्या 277/2016 अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माननीय न्यायालय में दिनांक 14.06.2016 में विधि सम्मत तामिल नही करवाई गई है तथा माननीय न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया को विधि सम्मत तामिल करवाई है तथा प्रार्थीया द्वारा बिना संपरिवर्तन करवाये कृषि भूमि की किस्म को बदल दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन नियम 2007) के नियमों की अवहेलना की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़